

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-92/2011)/अलेसे-11/८७

दिनांक :- १/२/२०२१

कार्यालय आदेश

श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, को विभागीय आदेश क्रमांक 1535 दिनांक 05.12.2016 द्वारा दिनांक 21.11.2016 से निलंबित किया गया था। वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3) वित्त/ राजस्व/ 2014 दिनांक 11.01.2021 द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23) प्रसु./ अनु.3/ 99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में निलंबन से बहाल किए जाने के निर्णय की अनुपालना में श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। श्री मीणा का पदस्थापन उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) सलुम्बर (उदयपुर) में किया जाता है। उक्त बहाली आदेश माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यक्षीन होंगे तथा निलंबन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत किया जावेगा।

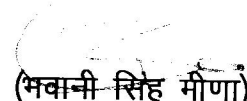

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (डी-92/2011)/अलेसे-11/८७

दिनांक :- २/२/२०२१

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलक्टर उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)/ग्रामीण।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
5. उपकोषाधिकारी सलुम्बर (उदयपुर)।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाड़ा उदयपुर।
7. थानाधिकारी पुलिस थाना जावर माईन्स, उदयपुर।
8. श्री धर्मचन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) कोषालय उदयपुर (शहर)।
9. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
11. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली/ गोपनीय शाखा/जॉच शाखा।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)